भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

सत्यमेव जयते

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   GH 646266

24.02.24

दस्तावेज (ट्रस्ट/न्यास)

मैं राजकुमार यादव पुत्र श्री राजपति यादव पता–ग्राम चकरबिया, पोस्ट व तहसील–मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर (उ0प्र0) का निवासी हूँ। मैं जय माँ सरस्वती ट्रस्ट (जे0एम0एस0 ट्रस्ट) पता–चकरबिया, मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर (उ0प्र0) के नाम से एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा करता हूँ।

Rajkumaryadav

2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 646267

(2) ट्रस्ट (न्यास) की विधिक प्रतिबद्धता:

जय माँ सरस्वती ट्रस्ट (जे0एम0एस0 ट्रस्ट), इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत गठित किया जा रहा है। इस ट्रस्ट पर इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होंगे जो कि इस ट्रस्ट के संचालन के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधि मान्य है। उपरोक्त ट्रस्ट उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

(3) ट्रस्ट (न्यास) का नाम :

जय माँ सरस्वती ट्रस्ट (जे0एम0एस0 ट्रस्ट)

(4) ट्रस्ट (न्यास) का स्थायी पता:

चकरबिया, मड़ियाहूँ, जनपद–जौनपुर (उ0प्र0)

(5) ट्रस्ट (न्यास) का कार्य क्षेत्र:

सम्पूर्ण भारत।

Rajkumar Yadav

SENIOR TREASURY OFFICE
JAN 2024

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 646268

(6) ट्रस्ट निर्माता (न्यासकर्ता) :

राजकुमार यादव पुत्र श्री राजपति यादव पता– ग्राम चकरविया पोस्ट मड़ियाहूँ, तहसील मड़ियाहूँ जनपद–जौनपुर (उ0प्र0)

(7) न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम : श्री अजय कुमार यादव, श्रीमती उर्मिला यादव, श्रीमती सुमन यादव, श्रीमती हिरावती देवी

(8) न्यासधारी (ट्रस्टी) :

राजकुमार यादव पता– ग्राम चकरविया पो0 मड़ियाहूँ तहसील–मड़ियाहूँ जनपद–जौनपुर (उ0प्र0)।

(9) उपरोक्त ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो ट्रस्टी बनाये गये:

क्र0 सं0	नाम ट्रस्टी	पिता/पति का नाम	पद	व्यवसाय	पता
1.	श्री राजकुमार यादव	श्री राजपति यादव	मुख्यट्रस्टी / प्रबन्धक	समाज सेवा	ग्राम चकरविया पोस्ट मड़ियाहूँ तहसील मड़ियाहूँ, जौनपुर।
2.	श्री अजय कुमार यादव	श्री राजपति यादव	अध्यक्ष	समाज सेवा	ग्राम चकरविया पोस्ट मड़ियाहूँ तहसील मड़ियाहूँ, जौनपुर।
3.	श्रीमती उर्मिला यादव	श्री अजय कुमार यादव	उपाध्यक्ष	गृहिणी	ग्राम चकरविया पोस्ट मड़ियाहूँ तहसील मड़ियाहूँ, जौनपुर।
4.	श्रीमती सुमन यादव	श्री आर0के0 यादव	कोषाध्यक्ष	गृहिणी	ग्राम चकरविया पोस्ट मड़ियाहूँ तहसील मड़ियाहूँ, जौनपुर।
5.	श्रीमती हरावती देवी	श्री राजपति यादव	उप प्रबंधक	गृहिणी	ग्राम चकरविया पोस्ट मड़ियाहूँ तहसील मड़ियाहूँ, जौनपुर।

Rajkumar yadav

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GH 646269

(10) ट्रस्ट का स्वरूपः

यह ट्रस्ट एक स्वैच्छिक संगठन है जो जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय व राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में "सर्व सुखाय, सर्व हिताय" का कार्य करेगा।

(11) लाभग्राहीः

हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समस्त लोगों को बिना किसी भेद-भाव के सामान्य विकास अर्थात् मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह ट्रस्ट काम करेगी और सभी को समान लाभ पहुचाने का प्रयास करेगी तथा मानव विकास में सहायक प्राणी व वनस्पतियों के विकास व कल्याण में कार्य करेगी।

(12) हितग्राही व्यक्ति :

ट्रस्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा बल्कि ट्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमों के विकास में लोक कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

(13) ट्रस्ट के उद्‌देश्य :

इस ट्रस्ट / न्यास के लक्ष्य / उद्‌देश्य निम्नलिखित होंगे।

1. बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए एल.के.जी. स्तर से 5वीं कक्षा, जू0हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, डिग्री कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, पैरा मेडिकल कालेज, आई.टी.आई., पालिटेक्निक, बी.टेक, एम.टेक, बी.सी.ए., बी.बी.ए., एम.सी.ए., एम.बी.ए. स्तर तक रोजगार परक प्रौद्योगिकी विद्यालय की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना।

Raj Kumar yadav

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 646270

2. दिल्ली बोर्ड (सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. पैटर्न, यू.पी. बोर्ड हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम, तथा संस्कृत शिक्षा परिषद की नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना तथा प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक विद्यालयों का संचालन करना।
3. सदाचार तथा अध्यात्मिक विकास के लिए निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।
4. सामूहिक विवाह, अर्न्तजातीय विवाह, विधवा विवाह पद्धति एवं सामाजिक, सास्कृतिक, धार्मिक, संस्थाओ का निर्माण एवं कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।
5. पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने हेतु वृक्षारोपण व वृक्षों का संरक्षण करना।
6. विकलांग, मूक-बधिर, नेत्रहीन एवं गरीब बालक-बालिकाओं हेतु निःशुल्क विद्यालय का संचालन तथा आवास, भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।
7. दहेज प्रथा उन्मूलन, नशा उन्मूलन एवं छुआछूत उन्मूलन पर कार्यक्रम तैयार करना व संचालन करना।
8. ज्ञान-विज्ञान, वायुयान, जलयान (नेवी) तथा थल पर संचालित सभी यानों/वाहनों के यान्त्रिक, भौतिकी, शारीरिक, मानसिक, शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना।
9. समस्त लघु उद्योगों, फैक्ट्रियों की स्थापना एवं संचालन करना एवं निःशुल्क प्रशिक्षण कालोनियों एवं आवासों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों को नियुक्त कर सुरक्षा पद्धति की नवीन तकनीक की भी जानकारी देना।
10. निर्धन, असहाय तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना।
11. गरीब बालिकाओं/महिलाओं के लिए कढ़ाई-बुनाई, हस्तकला, चित्रकला, कम्प्यूटर, टाइप, शार्टहैण्ड, खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धी निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

Rajkumar yadav

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (6) GH 646271

12. जनसंख्या नियंत्रण व नशा उन्मूलन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का समय–समय पर आयोजन करना।
13. बंजर भूमि ऊसर क्षारीय, अम्लीय भूमि के सुधार का कार्यक्रम संचालित करना।
14. ग्रामीण गरीब युवक, युवतियों, अल्पसंख्यकों, दलितों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें स्वरोजगार देने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षित करना।
15. ग्रामीण बेरोजगार युवक, युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु ईंट भट्ठा, टाइल्स भट्ठा, सीमेन्ट, ईंट, लौह उद्योग, दाल–मिल, चावल–मिल, फर्नीचर उद्योग, डेयरी उद्योग, कुक्कुट, मछली पालन, कालीन, दरी उद्योग, मधुमक्खी पालन, उन्नतशील बीज, छपाई उद्योग, प्रिंटिंग वर्क, कापी उद्योग, संस्थाओं को प्रकाश व्यवस्था आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
16. क्षेत्रवासियों में राष्ट्रीयता अखण्डता की भावना जागृत करके राष्ट्रीय चेतना की स्थापना करना।
17. राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ के अस्पतालों का निर्माण करना, सुयोग्य चिकित्सकों के सहयोग से गंभीर प्राणलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना एवं एड्स के सम्बन्ध में जानकारी पैदा करके एड्स को रोकने के सम्बन्ध मे गोष्ठियां आयोजित करना व साहित्य वितरण करना।
18. समय–समय पर निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन करना व संचालन करना।
19. दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।
20. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, बच्चों को पल्स पोलियो, हेपेटाइटिस–बी, के टीकाकरण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
21. उम्र दराज निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करना।

Rajkumar yadav

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GH 646272

22. पर्यटन, देशाटन व भ्रमण कराकर बच्चों में ज्ञानवर्धक जानकारी पैदा करना।
23. समाज में फैली कुरीतियों जैसे– तलाक, दहेज प्रथा, ऑनर किलिंग, लिंग परीक्षण आदि जघन्य अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना।
24. ग्रामीण एवं दलितों को सरकार के माध्यम से तकनीकी एवं इलेक्ट्रानिक्स आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण एवं संचालन करना।
25. लघु एवं कुटीर उद्योगों एवं खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु कुशल कारीगर द्वारा प्रशिक्षण, स्वच्छ जल एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु कार्य कराना एवं संचालन करना।
26. गरीब बच्चों के लिए अनावासीय, आवासीय, विद्यालय एवं कोचिंग का निःशुल्क संचालन करना।
27. असहाय एवं अनाथ महिलाओं के लिए नारी निकेतन का निःशुल्क संचालन करना।
28. जनहित में आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु उच्चकोटि के होटलों एवं रेस्टोरेन्टों का निर्माण करना एवं उसे सुसंचालित करना।
29. रोजगारपरक तकनीकी शिक्षण संस्थानों का संचालन, जन शिक्षण संस्थान तथा कृषि विज्ञान केन्द्र का संचालन करना।
30. कृषि विविधीकरण आधुनिक कृषि तकनीकी विकास, बीज विकास एवं अनुसंधान कार्यक्रमों का संचालन करना।
31. केमिकल उद्योगो की स्थापना एवं प्रशिक्षण हेतु बी.एल.एड., बी.टी.सी., बी.एड. एन.टी.टी. एवं लॉ कालेज की स्थापना एव संचालन करना। रोजगारपरक शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान कर समाज का शैक्षिक उन्नयन करना।

Rajkumar Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GH 646273

(14) ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति–

यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा न्यास के प्रबन्धक भी कहे जायेंगे।

(15) **प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद–**

ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद ट्रस्टी प्रबन्धक /अध्यक्ष होंगे मुख्य ट्रस्टी / प्रबन्धक /अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

(16) ट्रस्ट की सदस्यताः ट्रस्ट की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी।

1. **संस्थापक ट्रस्टी–** इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी राजकुमार यादव हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के रिक्त नवीन ट्रस्टी को मनोनीत करने का अधिकार है एव ट्रस्ट के संचालन और नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। ट्रस्टी प्रबन्धक और अध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी को अपने जीवनकाल में कार्यकारी ट्रस्टी / उत्तराधिकारी आपसी सहमति से मनोनीत कर सकते हैं।
2. **मुख्य ट्रस्टी–** राजकुमार यादव मुख्य ट्रस्टी होंगे।
3. **सहयोगी ट्रस्टी–** जो व्यक्ति ट्रस्ट को पाँच हजार रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह एक वर्ष के लिए सहयोगी ट्रस्टी होगा।
4. **ट्रस्टी की सदस्यता समाप्ति–** पागल होने, दिवालिया होने, मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय में मोरल अपरिट्यूट के अन्तर्गत सजा पाने या त्याग–पत्र देने पर, वार्षिक सदस्यता शुल्क न देने पर या ट्रस्ट के विरूद्ध हानिकारक कार्य करने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

Raj Kumar yadav

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 646274

(17) प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल एवं सुलभ संचालन हेतु मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा चल-अचल सम्पत्ति को खरीदना, बेचना-रेहन रखना, ऋण लेना, ऋण की अदायगी सुनिश्चित करना, अनुदान लेना आदि।
3. किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के जनकल्याण कार्यक्रम के संचालन हेतु मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्ति करना निष्कासन करना व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिये किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निरस्त करना।
4. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों व उप समितियों का मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्राप्त करना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।
5. ट्रस्ट के व ट्रस्ट द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों, संस्थाओं व परियोजनाओं के पृथक-पृथक खातों को समयानुसार मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक मे खाते खुलवाना और उन्हें बन्द कराना या परिवर्तित करना।
6. ट्रस्ट की ओर से किसी भी प्रकार का अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए वाद विवाद में पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा अधिकृत करना तथा किसी जांच पडताल के लिए टर्मिनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।
7. वार्षिक आय-व्यय का लेखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना।
8. ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय को मुख्य ट्रस्टी/प्रबधक द्वारा अन्तिम निर्णय देना।

Rajkumar Yadav

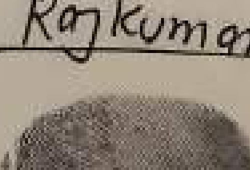

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (10) CN 991244

9 आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियम और उपनियम मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना।

10 प्रबन्धकारिणी समिति सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय मुख्य ट्रस्टी/प्रबधक की सहमति से लेने के लिए सक्षम होगी जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेंगे तथा जो ट्रस्ट के हित मे होगा।

(18) **ट्रस्ट की संयुक्त समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः**

आवश्यकतानुसार मुख्य ट्रस्टी को किसी भी प्रकरण पर तुरन्त निर्णय लेने का अधिकार होगा तत्पश्चात् ट्रस्ट की संयुक्त समिति की बैठक आहूत किया जायेगा और उसमें लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होगी और उन्हें क्रियान्वित करेगी। संयुक्त समिति एवं प्रबन्ध समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का जब तक मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक अनुमोदन नहीं करेगा तब तक वह कार्यरुप में परिणित नही होगा।

(19) **संस्थापक ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्यः**

किसी भी ट्रस्टी की रिक्ति की पूर्ति संस्थापक ट्रस्टियों के ही परिवार के वंशानुगत क्रम मे वैध मानी जायेगी।

(20) **विवादित स्थिति पर निर्णयः**

ट्रस्ट में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित होने पर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों के दस्तावेज के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे और वे ट्रस्ट के संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के लिए अलग से ट्रस्टियों को मनोनीत कर सकेंगे और ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के नियन्त्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे।

Raj Kumar Yadav

79

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CN 991245

(21) ट्रस्ट के रिकार्ड या अभिलेखः

एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, लेजर, बाउचर फाईल, सदस्यता फाईल, रसीद बही, पासबुक, चेकबुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थित रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे।

(22) अनुशासनात्मक कार्यवाहीः

ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट प्रबन्ध समिति करेगी। यदि प्रभावित व्यक्ति को उसके निर्णय से संतोष नहीं होता तो वह संयुक्त समिति मे इस प्रस्ताव के लिए आवेदन कर सकता है उस परिस्थिति में प्रभावित व्यक्ति को एक माह के अन्दर अपना प्रत्यावेदन मुख्य ट्रस्टी के नाम प्रस्तुत करना पड़ेगा और मुख्य ट्रस्टी की जिम्मेदारी होगी कि तीन माह के अन्दर संयुक्त समिति की बैठक आहूत करके प्रत्यावेदन पर विचार करें संयुक्त समिति की अध्यक्षता उसके सदस्यों द्वारा मनोनीत व्यक्ति करेगा और संयुक्त समिति द्वारा लिया गया निर्णय मुख्य ट्रस्टी की सहमति की दशा में अन्तिम होगा।

(23) वाद तथा प्रतिवादः

समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादो का न्याय क्षेत्र जनपद–जौनपुर उ0प्र0 रहेगा तथा ट्रस्ट द्वारा दूसरो पर या दूसरो द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद विवाद प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होंगे, व्यक्तिगत नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार के वादों प्रतिवादों की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

(24) परियोजनाओं के संचालन में ट्रस्ट की व्यापकताः

ट्रस्ट सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं एवं परियोजनाओं का संचालन ग्राम /मोहल्ला स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है जो कि भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त, जिले, तहसील, नगर, ब्लाक व ग्रामों में चलायी जायेगी।

Raj Kumar yadav

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (12) CN 991252

(25) ट्रस्ट कोष का रख रखाव:

ट्रस्ट के खाते का संचालन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर, संचालन मुख्य ट्रस्टी राजकुमार यादव और अध्यक्ष अजय कुमार यादव के ज्वाइन हस्ताक्षर के साथ होगा।

उत्तराधिकारी –ट्रस्ट के उत्तराधिकारी मुख्य ट्रस्टी राजकुमार यादव और अध्यक्ष अजय कुमार यादव दोनो के वंशानुगत क्रम के वंशज होंगे

(26) पदों का सृजन:

ट्रस्ट आवश्यकतानुसार मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक की सहमति से विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और उन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद पर स्थापित कर सकता है। सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हे कार्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

(27) ट्रस्ट (न्यास) की सम्पत्तियां:

ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति का अधिकार मुख्य ट्रस्टी राजकुमार यादव और अध्यक्ष अजय कुमार यादव का होगा। तथा मरणोपरान्त समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति के मालिक मुख्य ट्रस्टी और अध्यक्ष के वंशानुगत क्रम के वंशज होंगे जिसका संचालन सहमति से किया जायेगा।

जय माँ सरस्वती ट्रस्ट (जे0एम0एस0 ट्रस्ट) की स्थापना हेतु दस हजार रूपया नगद जिसे खाता खोलकर ट्रस्ट के खाते में जमा किया जायेगा। अतः यह ट्रस्टनामा विलेख आज दिनांक 29-02-24 को मेरे द्वारा अभिकथित लिखित एवं उद्घोषित किया जा रहा है।

Rajkumar yadav

93

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CN 991247

SENIOR TREASURY OFFICER
04 JAN 2024

प्रतिबन्ध

क.	विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।	हाँ/नहीं
ख.	विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।	हाँ/नहीं
ग.	विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।	हाँ/नहीं
घ.	संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं कि जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिंग फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इकजामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।	हाँ/नहीं
ङ.	संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायकता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम से वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।	हाँ/नहीं
च.	कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।	हाँ/नहीं
छ.	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।	हाँ/नहीं
ज.	विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हाँ तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम एक से आठ तक स्वीकार है।	हाँ/नहीं

हस्ताक्षर

Rajkumaryadav

प्रबन्धक/निदेशक/सचिव

SENIOR TREASURY OFFICE
04 JAN 2024

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CN 991248

गवाहान :-

1– नाम – अजय कुमार यादव

पिता नाम – राजपति यादव

पता– चकराथिया परगना व

मो0नं0– तहसील मड़ियाहूँ जिला जौनपुर।

अजय कुमार यादव

24.02.24

2– नाम – प्रेमचन्द यादव

पिता नाम – विश्वनाथ यादव

पता– जगरनाथपुर परगना व

मो0नं0– तहसील मड़ियाहूँ जिला जौनपुर

प्रेमचन्द यादव

24.02.24

Rajkumari yadav

SENIOR TREASURY OFFICE
04 JAN 2024

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CN 991249

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मसविदाकर्ता :- दीनानाथ मिश्र एडवोकेट
तहसील मडियाहूं

टाईपकर्ता :- मो० शाहआलम

Rajkumar yadav

(8)

...NIOR
...OFFICER

[redacted]

राज कुमार यादव
Raj Kumar Yadav
जन्म तिथि/ DOB: 05/01/1980
पुरुष / MALE

2509 3848 3153

मेरा आधार, मेरी पहचान

[redacted] प्राधिकरण

पता:
आत्मज: राज पति यादव, 18, [illegible], [illegible], [illegible], जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222161

Address:
S/O: Raj Pati Yadav, 18, [illegible]

2509 3848 3153

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

Rajkumar yadav
9919099527

[redacted]

अजय कुमार यादव
Ajay Kumar Yadav
जन्म तिथि / DOB : 16/03/1975
पुरुष / MALE
Mobile No. 9628476449

9146 7513 2749
VID : 9107 8080 9158 7976

आधार - आम आदमी का अधिकार

[redacted] पहचान प्राधिकरण
[redacted] INDIA

पता:
S/O: राज पति यादव, चक रविया, चक रविया पोस्ट - मरियाहू, चक रविया, जौनपुर,
उत्तर प्रदेश - 222161

Address
S/O: Raj Pati Yadav chak raviya chak raviya post - mariahu Chak Raviya Mariahu Jaunpur Uttar Pradesh - 222161

9146 7513 2749

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in P.O. Box No.1947, Bengaluru-560 001

अजय कुमार यादव
9628476449

Prem Chand Yadav

पुरुष / Male

4900 4058 2845

आधार - आम आदमी का अधिकार

Authority of India

S/O: Vishwanath Yadav

Jagarnathpur, Jaunpur

Jagarnathpur, Uttar Pradesh

222161

उत्तर प्रदेश, 222161

4900 4058 2845

प्रेमचन्द यादव

8948380428

23-2-24

आवेदन सं०: 202400985009161

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 53 के पृष्ठ 397 से 426 तक क्रमांक 7 पर दिनाँक 24/02/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

SENIOR TREASURY OFFICER
04 JAN 2024
JAUNPUR

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राकेश कुमार मिश्र
उप निबंधक : मड़ियाहूं
जौनपुर
24/02/2024